रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2010/माघ 19, 1931
No. 55] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2010/MAGHA 19, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2010

सा.का.नि. 63(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार कतिपय नियमों का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण में, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 871(अ), तारीख 23 दिसम्बर, 2008 में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को 26 दिसम्बर, 2008 को उपलब्ध करा दी गईं थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की परिशिष्ट ख की मद क. 16.01, क. 16.02, क. 16.03, क. 16.04, क. 16.05, क. 16.06, क. 16.07, क. 16.08, क. 16.09, क. 16.10, क. 16.11, क. 16.12, क. 16.13, क. 16.14, क. 16.16, क. 16.17, क. 16.18, क. 16.21, क. 16.22, क. 16.23, क. 16.24, क. 16.26, क. 16.27, क. 16.28, क. 16.29, क. 16.30, क. 16.34, क. 16.41, क. 20, क. 20.01 के पैरा ''आधान में उत्पाद को पूरी तरह भरा जाएगा और जब उत्पाद को अनम्य आधानों में भरा जाएगा तो उत्पाद उसके शुद्ध भार के 90 प्रतिशत से कम नहीं होगा । आधान के शुद्ध भार 20 डिग्री सेल्सियस पर आसवित जल का वह आयतन है जिसे सीलबंद आधान, जब उसे पूर्णतया भरा जाए, धारण करने में सक्षम है'' में और ''आधान के शुद्ध भार'' शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर, "आधान की जल क्षमता'' रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों की परिशिष्ट ख के, तापीय रूप से प्रसंस्कृत फलों के रस से संबंधित मद 16.06 में,—

(क) "उसके एक या अधिक पौष्टिक मीठे पदार्थ मिलाए जा सकते हैं जिसकी मात्रा 50 ग्राम/किलोग्राम से अधिक नहीं होगी परन्तु अत्यधिक अम्लीय फलों में इनकी मात्रा 200 ग्राम/किलोग्राम से अधिक नहीं होगी" शब्दों और अंकों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"सेब का रस, संतरे का रस (सान्द्रित रस से पुन: बनाया गया) अंगूर का रस, अनानास का रस (सान्द्रित रस से पुन: बनाया गया) के सिवाय" ।;

(ख) पैरा 2 में, अपेक्षाओं की सारणी में,—

(i) "साइट्रिक अम्ल के रूप में व्यक्त अम्लता अधिकतम(%)" स्तंभ के नीचे, नींबू रस (लेमन जूस) और नींबू जूस (लाइम जूस) से संबंधित क्रम संख्या 4 और 5 के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

4. नींबू रस (लेमन जूस)	"4.0 न्यूनतम
5. नींबू रस (लाइम जूस)	5.0 न्यूनतम"

(ii) स्तंभ "मिलाए गए पौष्टिक मीठे पदार्थ अधिकतम (ग्राम/किग्रा.)" और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों में, फल और सब्जी चटनी से संबंधित मद सं. क. 16.41 में, पीएच की अपेक्षाओं के सामने "4.6 से कम नहीं" प्रविष्टि के स्थान पर "4.6 से अधिक नहीं" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

5. उक्त नियमों की परिशिष्ट ग की सारणी 8 में,—

(क) क्रम सं. च.2 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

क्रम संख्या	योज्यों का नाम
"3	सार्बिक अम्ल और उसके कैल्सियम सोडियम पोटेशियम लवण (सार्बिक अम्ल के रूप में परिकलित)" ।;

(ख) इस प्रकार अंत:स्थापित सार्बिक अम्ल से संबंधित क्रम सं. च.3 में "कार्बोनेट युक्त फ्रूट बीवरेज या फ्रूट ड्रिंक" स्तंभ के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

क्र. सं.	योज्यों का नाम			कार्बोनेट युक्त आर टी एस फ्रूट बीवरेज			
3.	सार्बिक अम्ल और उसके कैल्सियम, सोडियम, पोटेशियम लवण (सार्बिक अम्ल के रूप मे परिकलित)	-	-	"300पीपीएम अधिकतम" ।;	-	-	-

(ग) पेक्टिन से संबंधित क्रम सं. छ. 3 में "कार्बनेट युक्त फ्रूट बीवरेज या फ्रूट ड्रिंक" स्तंभ के नीचे "जीएमपी" प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी ।

6. उक्त नियमों की परिशिष्ट ग की सारणी 10 में,—

(क) (i) अरेबिक गम से संबंधित क्रम सं. त. 2(i) में "आरटीएस फल और सब्जी पेय" स्तंभ के नीचे "जीएमपी (केवल आरटीएस फल पेय के लिए)" प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी;

(ii) पोटेशियम अल्जीनेट से संबंधित क्रम सं. त. 3(ii) में "आरटीएस फल और सब्जी पेय" स्तंभ के नीचे "जीएमपी (केवल आरटीएस फल पेय के लिए)" प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी;

(iii) क्रम सं. त. 3(iv) के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

क्र. सं.	योज्यों का नाम
"(v)	एल्जीनिक अम्ल जीएमपी" ।;

(iv) पैक्टाइन्स से संबंधित क्रम सं. त. 4 के सामने वाली प्रविष्टि में "आरटीएस फल और सब्जी पेय" स्तंभ के नीचे "जीएमपी (केवल आरटीएस फल पेय के लिए)" अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ख) गाढ़ा करने वाले कारक से संबंधित क्रम सं. त में, "सूप चूर्ण, फल चूर्ण-मिश्रित चूर्ण" स्तंभ के नीचे "0.5% अधिकतम" प्रविष्टि के स्थान पर "तनुकरण के पश्चात् खपत के लिए अंतिम खाद्य का 0.5% अधिकतम" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ग) (i) प्राकृतिक रंगों से संबंधित क्रम सं. ङ(क) में "मकरन्द" स्तंभ के नीचे "100पीपीएम अधिकतम" प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी;

(ii) फ्लेवर से संबंधित क्रम सं. छ. 1 में, "मकरन्द" स्तंभ के नीचे "जीएमपी-केवल प्राकृतिक फ्लेवरिंग और प्राकृतिक फ्लेवरिंग पदार्थ" प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी;

(iii) परिरक्षी से संबंधित क्रम सं. झ में,—

(क) मद सं. 1 "बेंजोइक अम्ल" के सामने, "मकरन्द" स्तंभ के नीचे "120पीपीएम अधिकतम" प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी;

(ख) मद सं. 2 "सल्फरडाई आक्साइड" के सामने, "मकरन्द" स्तंभ के नीचे "70 पीपीएम अधिकतम" प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी;

(ग) मद सं. 3 "सार्बिक अम्ल" के सामने, "मकरन्द" स्तंभ के नीचे "300पीपीएम अधिकतम" प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी;

(घ) पेक्टाइन्स से संबंधित क्रम सं. त.4 में, "मकरन्द" स्तंभ के नीचे "जीएमपी" प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी;

(ङ) पेक्टाइन्स से संबंधित क्रम सं. त.4 में, "फल रस अर्जम विधि से पैक किए हुए" स्तंभ के नीचे "जीएमपी" प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी ।

[सं. पी-15014/27/2007-पीएच (एफ)]

विनीत चौधरी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 में का.नि.आ. सं. 2105, तारीख 12 सितम्बर, 1955 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 431(अ), तारीख 19 जून, 2009 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2010

G.S.R. 63(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were publish, as required by sub-section (1) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health), Number G. S. R. 871(E), dated the 23rd December, 2008, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India in which the said notification was published, was made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 26th December, 2008;

And whereas, objections and suggestions received from the public within the specified period on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (l) of Section 23 of the Prevention of Food Adulteration of the said Act, the Central Government, after consultation with the Central Committee for Food Standards, hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely :—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (1st Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules), in Appendix B, in items A.16.0l, A.16.02, A.16.03, A.16.04, A.16.05, A.16.06, A.16.07, A.16.08, A.16.09, A.16.l0, A.16.11, A.16.l2, A.16.l3, A.16.l4, A.16.16, A.16.l7, A.16.l8, A.16.2l, A.16.22, A.16.23, A. 16.24, A.16.26, A.16.27, A.16.28, A.16.29, A.16.30, A.16.34, A.16.41, A. 20, A.20.01, in paragraph,—"The container shall be well filled with the product and shall occupy not less than 90.0 per cent of the net weight of the container, when packed in the rigid containers. The net weight of the container is the volume of distilled water at 20°C which the sealed container is capable of holding when completely filled" for the words, "the net weight of container", occurring at both the places, the words, "the water capacity of the container" shall be substituted.

3. In the said rules, in Appendix B, in item A.16.06 relating to Thermally Processed Fruit Juices,—

(a) after the words and figures, namely "One or more of the nutritive sweeteners may be added in amounts not exceeding 50g/kg but not exceeding 200g/kg in very acidic fruits", the following words shall be inserted, namely :—

"except in case of Apple juice, Orange juice (reconstituted from concentrate), Grape juice, Pineapple Juice (reconstituted from concentrate)".;

(b) in Paragraph 2, in the Table for requirements,—

(i) against the serial numbers 4 and 5 relating to lemon juice and lime juice under column "Acidity expressed as Citric Acid maximum (%)" for the existing entries, the following entries shall be inserted, namely :—

4. Lemon Juice	"4.0 minimum
5. Lime Juice	5.0 minimum";

(ii) the column "Added Nutritive Sweeteners Maximum (g/kg)" and the entries relating thereto shall be omitted.

4. In the said rules, in item No. A.16.41, relating Fruits and Vegetables Chutney, in the requirements for pH, for the entry "Not less than 4.6", the entry "Not more than 4.6" shall be substituted.

5. In the said rules, in Appendix C, in Table 8,—

(a) after serial number F. 2, the following serial number and entry shall be inserted, namely :—

Sl. No.	Name of Additive
"3	Sorbic Acid and its calcium, sodium, potassium salt (calculted as Sorbic Acid)";

(b) in serial number F.3 relating to Sorbic acid as so inserted, under column "Carbonated Fruit Beverages or Fruit Drink", the following entry shall be inserted, namely :—

Sl. No.	Name of Additive	Carbonated RTS Fruit Beverages	
3.	Sorbic Acid and its calcium, sodium, potassium salt (calculated as Sorbic Acid)	"300ppm maximum";	- - - -

(c) in serial number G.3 relating to Pectins, under the column "Carbonated Fruit Beverages or Fruit Drink", the entry "GMP" shall be inserted.

6. In the said rules, in Appendix C, in Table 10,—

(a) (i) in serial number K. 2(i) relating to Arabic Gum, under column "RTS fruits & vegetable beverages", the entry "GMP (for RTS fruit beverages only)" shall be inserted;

(ii) in serial number K. 3(ii) relating to Potassium alginates under column "RTS fruits & vegetables beverages", the entry "GMP (for RTS fruit beverages only)" shall be inserted;

(iii) after serial number K. 3(iv), the following serial number shall be inserted, namely :—

Sl. No.	Name of the additive
"(v)	Alginic acid-GMP";

(iv) in the entry against serial number K.4 relating to pectin under the column "RTS fruits & vegetable beverages", the entry "GMP (for RTS fruit beverages only)" shall be inserted;

(b) in the serial number K relating to thickening agents under the column "Soup powder, fruit powder - mixed powder" for the entry "0.5% maximum", the entry "0.5% maximum of final food for consumption after dilution" shall be substituted;

(c)(i) in the serial number E (a) relating to natural colours, under the column "Nectars", the entry "100 ppm maximum" shall be inserted;

(iv) in serial number G.1 relating to flavours, under the column "Nectars", the entry "Natural Flavouring and Natural Flavouring Substances only - GMP" shall be inserted;

(v) in serial number I relating to preservatives,—

(a) against the item number 1 "Benzoic acid", under the column "Nectars" the entry "120 ppm maximum" shall be inserted;

(b) against the item number 2 "Sulphur Dioxide", under the column "Nectars", the entry "70 ppm maximum" shall be inserted;

(c) against item number 3 "Sorbic acid", under the column "Nectars", the entry "300 ppm maximum" shall be inserted;

(d) in serial number K. 4 relating to pectins, under the column "Nectars", the entry "GMP" shall be inserted;

(e) in the serial number K. 4 relating to pectins, under the column "Fruit Juices aseptically packed" the entry "GMP" shall be inserted.

[No. P. 15014/27/2007-PH (F)]

VINEET CHAWDHRY, Jt. Secy.

Note:—The Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, vide number S.R.O. 2105, dated the 12th September, 1955 and were last amended vide number G.S.R. 431(E), dated 19th June, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.